General Assembly, has demanded the revision of the U.N. Charter; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) In his address to the U.N. General Assembly on the 21st September, 1966, President Marcos of the Philippines referred to the need to consider the review and revision of the U. N. Charter to reflect the changes in the world situation which have taken place since the Charter was originally drawn up.

(b) Government share the view that there is scope for a revision and review of the U.N. Charter but consider that there is little possibility of this being brought about in the persent international climate.

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में नौसैनिक अड्डे

*256. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री 29 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3601 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपों में नौसैनिक अड्डे स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) . (क) से (ग) जी नहीं । योजना के सम्पूर्ण विस्तार अभी सरकार के विचाराधीन हैं । मामले के लिए विस्तृत अध्ययन और क्षेत्र के सर्वेक्षण की आवश्यकता है, और आशा है उसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में हड़ताल

*257. **श्री हुकम चन्द कछवाय**
श्री ओंकार लाल बैरवा
श्री बड़े :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 1 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 173 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री०अ०म०थामस). (क) तथा (ख) कर्मचारियों की मुख्य मांगें एच० ए० एल० कानपुर के कार्यचालन के लिए एक उच्चस्तरी-आयोग की स्थापना; अब तक के विमान निर्माण डिपु के वैमानिकों और असैनिकों की कम्पनी कर्मचारियों के तौर पर नियुक्ति की शर्तें; वेतनमानों में संशोधन केन्द्रीय सरकार की दरों पर, मकान किराया और नगर प्रतिकर भत्तों; बोनस की आदायगी, डिपुटेशन भत्ते की अदायगी; ओवरटाइम भत्ते; और उपयुक्त परिवहन और बच्चों की शिक्षा या बच्चा भत्ते से सम्बन्धित हैं । मांगों पर समय समय पर, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई है । इस बातचीत के पश्चात कार्मिकों की एक भारी संख्या ने कम्पनी के कर्मचारियों के तौर पर नियुक्ति की स्वीकृति से सूचित कर दिया है ।